अध्याय I : प्रस्तावना

1.1 इस रिपोर्ट के संबंध में

अनुपालन लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षित इकाई के व्यय, प्राप्तियों, परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों से संबंधित लेन-देनों की जांच यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या भारत के संविधान, लागू विधि, नियमों, विनियमों के प्रावधानों तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विभिन्न आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है, का उल्लेख करता है। अनुपालन लेखापरीक्षा में उनकी वैधता, पर्याप्तता, पारदर्शिता, औचित्य तथा विवेक हेतु नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों की जांच भी शामिल है।

लेखापरीक्षाएं नियंत्रक महालेखापरीक्षक (भा.नि.म.ले.प.) की ओर से उनके द्वारा अनुमोदित लेखापरीक्षा मानकों[1] के अनुसार की जाती हैं। ये लेखापरीक्षा मानक उन प्रतिमानों को निर्धारित करते हैं जिनकी लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा करने में अनुसरण करने की अपेक्षा की जाती है। लेखापरीक्षा मानक गैर अनुपालन और दुरूपयोग के व्यक्तिगत मामलों के साथ-साथ उन कमजोरियों को सूचित करने की अपेक्षा करता है जो वित्तीय प्रबन्धन एवं आंतरिक नियंत्रण की प्रणाली में विद्यमान हैं। लेखापरीक्षा के निष्कर्षो से उपचारी कार्यवाही करने के लिए कार्यपालिका को सक्षम बनाने तथा ऐसी नीतियां तथा निर्देश बनाने की अपेक्षा की जाती है, जो संगठन के सुधारोंमुक्त वित्तीय प्रबंधन तथा बेहतर शासन में सहायक होगा।

रेल एवं रक्षा मंत्रालय को छोड़कर संघ सरकार के लगभग 50 मंत्रालय/स्वतंत्र विभाग हैं। पिछले तीन वर्षो के दौरान इन 50 मंत्रालयों तथा विभागों का सकल व्यय नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	व्यय
2008-09	₹ 31,59,075
2009-10	₹ 41,31,321
2010-11	₹ 40,37,399

[1] डब्लूडब्लूडब्लू. सीएजी.जीओवी.आईएन./एच.ई.एम.एल/ लेखापरीक्षा मानक.एच.टी.एम.

इस प्रतिवेदन में नौ मंत्रालयों/विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को इस प्रतिवेदन के विभिन्न अध्यायों में सम्मिलित किया गया है।

1.2 लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकार

भा.नि.म.ले.प. द्वारा लेखापरीक्षा तथा संसद को सूचित करने का प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद क्रमशः 149 एवं 151 तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 से प्राप्त हुआ है। नि.म.ले.प. भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. (क.श.एवं से.श.) अधिनियम[2] की धारा 13[3] एवं 17[4] के अन्तर्गत करता है। अनुपालन लेखापरीक्षा के सिद्धान्त और विधि-तंत्र भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियमावली 2007 में नियत है।

1.3 लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया समग्र रूप में मंत्रालय/विभाग/संगठन तथा उनकी प्रत्येक ईकाई में किए गए व्यय, कार्रवाइयों की समीक्षा/जटिलता, प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के स्तर, उनके समग्र आंतरिक नियंत्रण के निर्धारण तथा पणधारकों के हितों पर आधारित जोखिम के मूल्यांकन के साथ प्रारम्भ होती है। पूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षो पर भी इस प्रक्रिया में विचार किया जाता है। इस जोखिम के मूल्यांकन के आधार पर, लेखापरीक्षा की आवृत्ति और सीमा निर्धारित की जाती है। ऐसे जोखिम मूल्यांकन के आधार पर लेखापरीक्षा करने के लिए एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना को बनाया जाता है।

प्रत्येक ईकाई की लेखापरीक्षा पूर्ण होने के पश्चात, लेखापरीक्षा निष्कर्षों को अन्तर्विष्ट करके निरीक्षण प्रतिवेदनों को इकाई के प्रमुख को जारी किया जाता है। इकाइयों से निरीक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति के एक माह के अन्दर लेखापरीक्षा निष्कर्षों का उत्तर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है। जब भी उत्तर प्राप्त होता है, लेखापरीक्षा निष्कर्षों का या तो निपटान हो जाता है या अनुपालन हेतु पुनः कार्रवाई का सुझाव दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों से उद्भूत प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्षों को, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है, में सम्मिलित करने हेतु तैयार किया जाता है।

---

[2] नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971

[3] (i) भारत की समेकित निधि से सभी व्यय (ii) आकस्मिक निधि एवं लोक लेखा से संबंधित सभी लेन-देन और (iii) सभी व्यापार, विनिर्माण, लाभ एवं हानि लेखे, तुलन पत्र एवं अन्य सहायक लेखे

[4] संघ या राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे भण्डार एवं स्टाक की लेखापरीक्षा एवं लेखे पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन